Rs. 14486
मानो
5/8/04

9843
28.4.04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

PD 350
KM. 80
Dept. 100
PB 220

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2004/चैत्र 17, 1926
No. 179] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2004/CHAITRA 17, 1926

प्रभारी

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 254(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय विद्युत योजना प्रारूप पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए समय नियत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचना नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "**अधिनियम**" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. राष्ट्रीय विद्युत योजना की अधिसूचना.—(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन तैयार की गई राष्ट्रीय विद्युत योजना राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनियों और साधारण जनता के सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए ऐसी योजना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी।

[फा. सं. 23/17/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2004

G.S.R. 254(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules stipulating the time for inviting suggestions and objections by the Central ElectricityAuthority on the draft National Electricity Plan, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Electricity Plan Notification Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) Words and expression used here in and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Notification of National Electricity Plan.—(1) A National Electricity Plan prepared under the provisions of Sub-section (4) of Section 3 of the Act shall be published in the Official Gazette and in at least two daily vernacular language newspapers.

(2) For inviting suggestions and objections of licensee, generating companies and general public a period of ninety days, from the date of publication of such Plan, shall be provided by the Authority.

[F. No. 23/17/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

1178 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.